



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U 40 10 1 U P 19 80 S G C 0 0 5 0 6 5

पत्र संख्या: 48-मा० सं०-03/उनिलि/2016-10(5)-मा०सं०-03/2010 दिनांक: 8, 01.2016

"कार्यालय ज्ञाप"

एतद्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत गैर कॉमन कैडर के अधोनामित कर्मचारियों को उनकी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से उनकी सेवानिवृत्ति हेतु राहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

रसायनज्ञ ग्रेड-I

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री)	तैनाती स्थल	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	राम कुमार	ओबरा	11.01.56	31.01.2016
2.	द्विजेन्द्र मोहन सक्सेना	पारीछा	24.01.56	31.01.2016
3.	चरत कुमार माथुर	पनकी	07.07.56	31.07.2016
4.	सुशील कुमार	पारीछा	15.07.56	31.07.2016
5.	एस० के० जिन्दल	हरदुआगंज	06.09.56	30.09.2016
6.	ज्योति प्रकाश	पनकी	26.02.57	28.02.2017

रसायनज्ञ ग्रेड-II

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री)	तैनाती स्थल	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	प्रभात सरन निगम	पनकी	08.01.56	31.01.2016
2.	कृष्ण शर्मा	अनपरा	17.10.56	31.10.2016

उपरोक्त तालिका में अंकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ 5 में दर्शित सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोक हित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्मिकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं उनकी विधिक जिम्मेदारी होगी।

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

कमश.....2/ पर


पत्र सं०: 48-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2016

तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. स्पीड पोस्ट मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सोनभद्र/अलीगढ/कानपुर/झांसी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इन कार्मिकों की जन्मतिथि की पुष्टि उनकी सेवा पुस्तिका से भी करा ले यदि किसी प्रकार की भिन्नता हो तो अविलम्ब निगम मुख्यालय को सूचित करे तथा किसी कार्मिक का नाम इस सूची में शामिल न हो तो उसे भी ससमय सेवानिवृत्त करते हुये प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-03), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कट फाईल।

आज्ञा से,


(विवेक कुमार)

अधिशायी अभियन्ता (मा०सं०-03)